1

प्रस्तावना

शहरी विकास मंत्रालय का दायित्व व्यापक नीति निर्देश तैयार करना तथा शहरी विकास, जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्रों में कार्यक्रमों की निगरानी करना है। ये राज्य के विषय हैं लेकिन भारत सरकार समन्वयन तथा निगरानी की भूमिका निभाती है और केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के जरिए इन कार्यक्रमों में सहायता पहुंचाती है। शहरी विकास मंत्रालय नीति, दिशानिर्देशों, कानूनी मार्गदर्शन और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के जरिए शहरी क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों का कार्य देखता है।

1.1 भारत में शहरीकरण एक महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। बड़े शहरों की संख्या में अत्यधिक प्रभावशाली रूप से वृद्धि होना शहरीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। यद्यपि भारत के संबंध में यह कहा जा सकता है कि यह ग्रामीण बहुल से अर्द्ध शहरी समाज में परिवर्तन के मध्य में है।

1.2 जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर से भारत में शहरी जनसंख्या 2030 ई॰ तक आश्चर्यजनक रूप से 575 मिलियन हो जाएगी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 35 शहरों की जनसंख्या एक मिलियन से अधिक थी। बाद के दशकों में शहरी क्षेत्रों और कस्बों की संख्या में वृद्धि हुई है जैसाकि निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:—

वर्ष	भारत में दशकों में शहरी क्षेत्रों/ कस्बों की संख्या
1951	2843
1961	2363
1971	2590
1981	3378
1991	3768
2001	5161

1.3 तथापि यह माना जाता है कि अर्द्ध शहरी सोसाइटी में इस परिवर्तन के साथ-साथ जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज नेटवर्क जैसी बुनियादी शहरी सेवाओं, कचरा निपटान सुविधाओं, शहर की सड़कों, सार्वजनिक परिवहन तथा स्ट्रीट लाइटिंग और पैदल चलने के रास्तों जैसी सार्वजनिक सुरक्षा प्रणालियों की आपूर्ति में अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। शहरी जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ भूमि और मकानों की आपूर्ति में वृद्धि नहीं हुई है।

1.4 ग्यारहवीं योजना अवधि में, यह अनुमान लगाया गया था कि केवल शहरी जल आपूर्ति के लिए 53666 करोड़ रु॰ के निवेश की आवश्यकता होगी तथा सीवरेज शोधन, जल निकास और ठोस कचरा प्रबंधन सहित सफाई व्यवस्था के लिए और 75553 करोड़ रु॰ के निवेश की आवश्यकता होगी। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि होने से ग्यारहवीं योजना में शहरी परिवहन जरूरतों के लिए 132590 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। इस बात का व्यापक महत्व है कि शहरी समस्याओं, जिनका शहर और कस्बे सामना करते हैं, के आकार

और स्वरूप हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहभागिता की आवश्यकता है तथा भूमि, आवास और किराये में संबंधित मौजूदा नीतियों तथा सांविधियों की समीक्षा किए जाने और सामने आ रही चुनौतियों के अनुरूप इन्हें संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

1.5 हाल के वर्षों में देश में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और संविधान (चौहत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992 में निर्धारित विकेन्द्रीकरण की धारणा के अनुक्रम में भारत में शहरी क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। वर्ष 1990 और 2000 के दशक में भी शहरों के बारे में योजना और आर्थिक विकास तथा गरीबी में कमी के संबंध में उनकी भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। शहरी शासन के महत्व तथा लोगों के प्रति स्थानीय स्व: सरकारों की जिम्मेवारी और जवाबदेही की चुनौतियों को तथा इस परिप्रेक्ष्य में, ऐसी स्थानीय सरकारों के आत्मनिर्भरता और साख के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है इसलिए, शहरी सेवाओं की मूल्य प्रणाली में भारी बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि जब सेवाएं निम्न लागत पर अविवेकपूर्ण रूप से मुहैया करायी जाती हैं तो उन्हें बनाए नहीं रखा जा सकता है।

1.6 **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) दिनांक 3 दिसम्बर, 2005** को शुरू किया गया था जिसमें 65 चुने गए शहरों में शहरी गरीबों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था सहित आवास, जलापूर्ति, सफाई, स्लम सुधार, सामुदायिक शौचालय आदि पर जोर देकर शहरी अवस्थापना और सेवाओं के एकीकृत विकास पर ध्यान केन्द्रित करने की आशा है। मिशन में वर्ष 2005-06 से आरम्भ हुए 7 वर्षों की मिशन अवधि के दौरान सुधार आधारित केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। छोटे कस्बों और शहरों की इसी प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत उप घटक भी हैं।

1.7 मिशन (जेएनएनयूआरएम) का उद्देश्य नगर प्रशासन को उन उपायों को शुरू करना है जिसमें मौजूदा सेवाओं के स्तर में सतत वित्तीय तरीके से सुधार आए। मिशन में राज्यों/शहरों को राजकोषीय, वित्तीय और संस्थानिक परिवर्तन लाने का आग्रह किया है जो सक्षम और उचित शहरी केन्द्र बनाने के लिए अपेक्षित है तथा मिशन सुधार आधारित है जो बड़ी मात्रा में शासन की चुनौतियों को पूरा करेगा।

1.8 मेगा शहरों में अवस्थापना विकास के लिए पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित स्कीमें, छोटे और मझौले कस्बों हेतु एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी), त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) और शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (यूआरआईएफ) (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा अभिशासित) को मिशन में समाहित कर दिया गया है।

1.9 शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय शहरी सफाई नीति निर्धारित की है तथा म्युनिसिपल सेवाओं के लिए सेवा स्तरीय बेंचमार्क भी निर्धारित किए हैं। मंत्रालय शासन, वित्तीय प्रबंधन और सेवा आपूर्ति से संबंधित क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों तथा राज्य कार्मिकों सहित विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण का समर्थन कर रहा है।

1.10 शहरी विकास मंत्रालय को शहरी परिवहन संबंधी मामलों के नियोजन और समन्वय का कार्य भी सौंपा गया है। मंत्रालय ने वर्ष 2006 में एक राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति निर्धारित की है। इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए इसे आसानी से उपलब्ध करवाना, सुरक्षा, वहननीय, शीघ्र, आरामदायक, विश्वसनीय और सतत गतिशीलता सुनिश्चित करना है तथा मंत्रालय प्रगति की निगरानी के साथ-साथ नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्य को सहायता और मार्गदर्शन दे रहा है।

SERVER5 \ F \ REPORT 2009\2384UD \ CHAPTER1

1.11 शहरी विकास मंत्रालय के दूसरे प्रकार के दायित्वों का संबंध रिहायशी-वास सहित केन्द्र सरकार के भवनों के निर्माण और अनुरक्षण से है, जिसमें रक्षा मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय के अधीन आने वाले भवन शामिल नहीं है। यह मंत्रालय केन्द्र सरकार की भूमि/सम्पत्ति, जो अधिकांश: दिल्ली तक सीमित है और कुछ अन्य महानगरों में है, की भी देखभाल करता है। ये कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और भूमि और विकास कार्यालय के माध्यम से निष्पादित किये जाते हैं। यह मंत्रालय केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभागों की मुद्रण तथा लेखन सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सरकारी प्रकाशनों के भण्डारण तथा बिक्री के लिए भी उत्तरदायी है।

1.12 शहरी विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में चार सम्बद्ध और तीन अधीनस्थ कार्यालय, एक सरकारी उपक्रम तथा एक गैर सांविधिक पंजीकृत सोसाइटी सहित पांच सांविधिक/स्वायत्तशासी निकाय हैं।

1.13 **केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग** इन संगठनों में सबसे बड़ा है। 2008-2009 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी ने 6182.00 करोड़ रुपए का कार्यभार प्राप्त किया है। **मुद्रण निदेशालय** देशभर में अपने प्रेसों की मार्फत केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभागों की मुद्रण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। **सम्पदा निदेशालय** मुख्यत: सरकारी सम्पदाओं और होस्टलों के प्रशासन की जिम्मेदारी निभाता है। **भूमि और विकास कार्यालय** दिल्ली में केन्द्र सरकार की जमीनों के प्रबंध के अलावा दिल्ली नजूल तथा पुनर्वास पट्टों के प्रशासन का कार्य करता है।

1.14 **नगर और ग्राम नियोजन संगठन** नगर नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन और नगर विकास के कार्यों के प्रसंग में मंत्रालय की तकनीकी भुजा है। **भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय**, केन्द्र सरकार कार्यालयों की लेखन सामग्री जरूरतें पूरी करता है। **प्रकाशन विभाग** सरकारी प्रकाशनों का स्टाक रखता तथा बेचता है।

1.15 **नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी)** एक सिविल निर्माण एजेंसी है। एनबीसीसी आज 1000 करोड़ रु० से अधिक कारोबार की कम्पनी है और इसके कार्यकलाप पूरे देश में और विदेशों में फैले हैं। एनबीसीसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर करने वाली कम्पनी है और एमओयू मानदण्डों के मूल्यांकन के आधार पर इसके निष्पादन को वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक लगातार उत्कृष्ट रेटिंग दी गई है।

1.16 **दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)** का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सभी प्रकार के विकास कार्य और भू-उपयोग पर कानूनी क्षेत्राधिकार है। **दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी)** के कानूनी दायरे में दिल्ली की सौंदर्यपरक-गुणवत्ता और पर्यावरण रख-रखाव के कार्य आते हैं। **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड** का गठन, एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड अधिनियम, 1985 के तहत मार्च, 1985 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भू-उपयोग नियंत्रण तथा अवस्थापना विकास के लिए युक्ति संगत नीतियां बनाना है ताकि इस क्षेत्र में अनाप-शनाप वृद्धि से बचा जा सके। **राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एन.आई.यू.ए.)** की स्थापना एक स्वायत्तशासी गैर-सांविधिक निकाय के रूप में सन् 1976 में की गई थी। इसका पंजीकरण समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत देश में शहरी अनुसंधान करने के लिए किया गया। यह शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित सूचना के संग्रह, विवेचन, भंडारण और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित सूचना के प्रसारण, उनके कार्यकरण, प्रबन्धन, वित्त, विकास कार्यक्रमों और प्रशिक्षण में भी शामिल हैं। **राजघाट समाधि समिति** की स्थापना, राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 के अनुसार राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि की प्रशासनिक देखभाल के लिए 1951 में हुई थी।

1.17 वर्ष 2008-09 के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम और नीतिगत निर्णयों की सूची अनुलग्नक-1.1 में दी गई है।

SERVER5 \ F \ REPORT 2009\2384UD \ CHAPTER1

अनुलग्नक–1.1

वर्ष 2008–09 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं नीतिगत निर्णय

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के फायदे के लिए 10% एकमुश्त प्रावधान स्कीम पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजन सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में दिनांक 5 मई, 2008 को नई दिल्ली में किया गया था।

2. आवासीय भवन के मिश्रित उपयोग के उद्देश्य हेतु विशेषज्ञों को शामिल करने हेतु 14 मई, 2008 की अधिसूचना द्वारा दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में संशोधन किया गया था।

3. गजट को अपलोड करने तथा ई–गजट को डाउनलोड करने की सुविधा हेतु वेबसाइट http://egazette.nic.in का उद्घाटन दिनांक 6 जून, 2008 को शहरी विकास मंत्री द्वारा किया गया था।

4. शहरी विकास पर इंडो–जापान कार्यदल की द्वितीय बैठक का आयोजन दिनांक 16 जून, 2008 को नई दिल्ली में किया गया था।

5. बस सेवा सुधार, द्रुतबस परिवहन, पार्किंग, गैर मोटरीकृत परिवहन एवं व्यापक प्रचालन योजना पर टूलकिट/दिशानिर्देशों पर विचार करने तथा अंतिम रूप देने के लिए भारत में मध्यम आकार के शहरों में शहरी परिवहन हेतु टूलकिट पर एडीबी द्वारा सहायता प्राप्त कार्यशाला का आयोजन दिनांक 15–17 जून, 2008 को गोवा में किया गया था।

6. राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति पर विचार करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 19 जून, 2008 को नई दिल्ली में किया गया था।

7. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय ने 23–25 जून, 2008 के दौरान सिंगापुर सिविल सर्विस कालेज, ली कॉन येई स्कूल आफ पब्लिक पालिसी एवं राष्ट्रीय विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से सिंगापुर में आयोजित विश्व नगर सम्मेलन 2008 में भाग लिया।

8. चुनिंदा राज्यों (केरल, उड़ीसा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश) में विकेन्द्रीकृत शहरी शासन हेतु क्षमता निर्माण पर यूएनडीपी द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना हेतु समापन कार्यशाला का आयोजन दिनांक 30 जून, 2008 को नई दिल्ली में किया गया था।

9. वैकल्पिक विश्लेषण, बस प्रणाली प्रबंधन, शहरी परिवहन क्षेत्र हेतु सरकारी निजी भागीदारी एवं सांस्थानिक ढ़ांचा पर प्रारूप टूलकिट/दिशानिर्देश पर विचार करने एवं अंतिम रूप देने के लिए सुस्थिर शहरी परिवहन योजना पर विश्व बैंक–डीएफआईडी सहायता प्राप्त कार्यशाला का आयोजन दिनांक 30 जून, 2008 को नई दिल्ली में किया गया था।

10. उप राज्यपाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने सुनामी पुरर्स्थापन कार्यक्रम के तहत 216 मकानों की चाभियां छोटे अंडमान द्वीप के लाभार्थियों को दिनांक 15 जुलाई, 2008 को सौंपी।

11. शहरी विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ ''डवैलपिंग इंडिया म्युनिसिपल बांड मार्केट: कांस्ट्रेटस् टू ओवरकम'' पर दिनांक 29 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में एक कार्यसत्र आयोजित किया गया था।

SERVER5 \ F \ REPORT 2009\2384UD \ CHAPTER1

12. दिनांक 12 अगस्त, 2008 को जारी अधिसूचना के द्वारा मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के विभिन्न खण्डों से संबंधित कतिपय संशोधन किए गए थे।

13. डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पालिसी प्रमोशन और एनआईयूए द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2008 को ''म्यूनिसिपिल लाइसेंस एवं रजिस्टरिंग प्रोपर्टी'' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

14. एनआईयूए में 25 अगस्त, 2008 को जेएनएनयूआरएम के तहत आवश्यक सुधारों पर एक गोलमेज बैठक आयोजित की गई।

15. विभिन्न यातायात और परिवहन अध्ययन, सर्वेक्षणों, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने इत्यादि हेतु शहरी परिवहन आयोजना स्कीम के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता 40% से बढ़ाकर 80% कर दी गई तथा राज्यों को 26 अगस्त, 2008 को तदनुसार सलाह दी गई।

16. राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली स्कीम के तहत राष्ट्रीय शहरी डाटाबैंक और इंडिकेटर कम्पोनेंट पर टीसीपीओ, नई दिल्ली में दिनांक 29 अगस्त, 2008 (अन्य दूसरी 7 नवम्बर, 2008 को) को राष्ट्र स्तरीय परस्पर सत्र आयोजित किया गया था।

17. शहरी विकास मंत्रालय ने ''शहरीकरण की चुनौतियां'' विषय पर दिनांक 29 सितम्बर, 2008 को नई दिल्ली में एक गोलमेज बैठक आयोजित की थी।

18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (कांट्रेक्ट कैरिज) में वाहनों के प्रतिबंधित चलन हेतु परस्पर साझा परिवहन करार पर हस्ताक्षर करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड ने दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 को हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य सरकारों के साथ समन्वय किया।

19. नए कस्बों आदि को बसाने में क्षेत्र विकास के मामले में उल्लेखनीय निर्माण गतिविधियों के बीच बढ़ रहे अंतर का अध्ययन करने के लिए और जलापूर्ति, जल निकास/सीवरेज, परिवहन तथा पर्यावरणीय उपायों का संगत प्रावधान करने और विकास प्राधिकरणों द्वारा तैयार की गई क्षेत्रीय/जोनल/मास्टर प्लानों की पर्यावरणीय जांच/मूल्यांकन करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए संस्थागत पद्धतियों व प्रक्रियाओं का सुझाव देने के लिए सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 30.10.2008 को एक अध्ययन दल गठित किया गया (अध्ययन दल की पहली बैठक 20 नवम्बर, 2008 और दूसरी बैठक 23 मार्च, 2009 को आयोजित की गई)।

20. नई दिल्ली में सचिव, शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 12 नवम्बर, 2008 को एक कार्यशाला के जरिए राष्ट्रीय शहरी सफाई नीति का शुभारंभ किया गया।

21. शहरी विकास मंत्रालय ने दिनांक 24 नवम्बर, 2008 को शहरी स्थानीय निकायों हेतु क्षमता निर्माण स्कीम के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव पर एक राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला आयोजित की।

22. शहरी विकास मंत्री ने ''भारत में शहरी गतिशीलता: 2008'' के शीर्षक वाली वार्षिक सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जो 3 से 5 दिसम्बर, 2008 तक आयोजित की गई थी। सम्मेलन के दौरान ''शहरी बस मानक'' और ''द्रुतगामी बस परिवहन व्यवस्था'' पर परामर्श जारी किए गए।

SERVER5 \ F \ REPORT 2009\2384UD \ CHAPTER1

23. जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत ''पीआर एक्सपिरएन्स और रिफलैक्टिव लर्निंग (पीईएआरएल)'' पर दिनांक 4 दिसम्बर, 2008 को एनआईयूए में एक गोलमेज विचार विमर्श हुआ।

24. पीईएआरएल वेबसाईट ''India urban portal'': (www.indiaurbanportal.in) का शुभारंभ जनवरी, 2009 में एक कार्यक्रम में किया गया।

25. दिनांक 2 जनवरी, 2009 को सरकार द्वारा घोषित दूसरे प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत राज्यों को जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत, दिनांक 30 जून, 2009 तक एक बार के उपाय के रूप में उनकी शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए बसों की खरीद हेतु सहायता मुहैया कराई गई।

26. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में विकास भवन, नई दिल्ली में दिनांक 6 फरवरी, 2009 को सर्विस लेवल बैंचमार्क पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

27. सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में दिनांक 09 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में भारत फ्रांस संयुक्त कार्यशाला के छठे सत्र का आयोजन किया गया।

28. भारत-जापान संयुक्त कार्य दल के तत्वाधान में दिनांक 11 फरवरी, 2009 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में जल पर्यावरण पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

29. भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरडीयूपी) फेज-1 दिनांक 26 फरवरी, 2009 को अनुमोदित किया।

30. फरवरी, 2009 में, सरकार ने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आबंटन बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप, शहरी अवस्थापना और शासन घटक के लिए आबंटन आरंभिक राशि 25,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 31,500 करोड़ रुपए छोटे और मझौले कस्बों के शहरी अवस्थापना विकास स्कीम हेतु 6400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11400 करोड़ रुपए किया गया था।

31. शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जर्मनी की जीटी जैड और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ सहयोग करके दिनांक 26 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में शहरी सफाई पर राष्ट्रीय पहल के भाग के रूप में एक शहरी स्कूल सफाई अभियान शुरू किया गया था।

32. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सिटी कलस्टर डैवलपमेंट पर दिनांक 3 मार्च, 2009 को तीसरा गोलमेज विचार विमर्श किया गया।

33. चंडीगढ़ और इसके आस-पास के क्षेत्रों के विकास हेतु समन्वय समिति की 15वीं बैठक सचिव, शहरी विकास की अध्यक्षता में दिनांक 16 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

34. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 को लागू किए गए। इस अधिनियम में अनधिकृत विकास की चुनिंदा श्रेणियों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है और यह 31 दिसम्बर, 2009 तक प्रभावी रहेगा।

SERVER5 \ F \ REPORT 2009\2384UD \ CHAPTER1